फा.स. 18(3)/2004-ले.एवं क्रय

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक 25 फरवरी, 2010

सेवा में

विषय: फैक्स मशीनों के व्यापक रख रखाव का ठेका।

महोदय,

मुझे मंत्रालय में लगी निम्नलिखित फैक्स मशीनों के एक वर्ष के व्यापक रखरखाव सेवा ठेके के लिए दर-सूची मंगाने का निदेश हुआ हैः-

क्रम संख्या	विवरण (माडल न.)	संख्या	
1	मोदी जीरॉक्स (एफ-4200)	1	
2	मोदी जीरॉक्स (एफ-5100)	1	
3	मोदी जीरॉक्स (एफ-4000)	1	
4	मोदी जीरॉक्स (एफ-7300)	1	
5	शार्प एफ ओ- 1460	1	
6	केनन जे एक्स 201	5	
7	पैनासोनिक के एक्स-एफ एम 131	1	
8	केनन एल-220	2	
9	सेमसंग एस एफ-565	2	

2. ठेके के लिए निम्नलिखित निबंधन और शर्तें होंगी :-

- इस विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट ठेके की अवधि के दौरान बताई गई दरें लागू रहेंगी और ठेके के दौरान दरों को संशोधित करने की कोई भी मांग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

- ठेका "व्यापक रख-रखाव सेवा" के लिए होगा अर्थात यदि किसी पुर्जे को बदले जाने की आवश्यकता है तो वह ठेके के अंतर्गत ही बदलना होगा और किसी अतिरिक्त पुर्जे के लिए मंत्रालय द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह मशीन के असली अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध करवाए और सभी मशीनों को चालू हालत में रखें।

- ठेकेदारों को उपरोक्त फैक्स मशीनों को ठीक करने का कम से कम 3 वर्ष की अवधि का वार्षिक रख रखाव ठेके का पिछला अनुभव होना चाहिए। **ठेकेदारों को इस कार्य को करने के लिए अपनी क्षमता सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे और अपनी स्थिति एवं सुनाम (Goodwill) को भी प्रमाणित करना होगा। फर्म के पैन नम्बर के बिना प्रस्तुत की गई दर-सूची सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी।**

- चुनी गई फर्म से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपेक्षित रख-रखाव सेवा देने के लिए तकनीकी और व्यवसाय में सक्षम व्यक्ति को तैनात करें। इसके लिए कंपनी को प्रत्येक फैक्स मशीन के लिए सर्विस कार्ड रखना होगा जिसपर प्रत्येक सर्विस के बाद मशीन प्रचालन करने वाले व्यक्ति के पूरे हस्ताक्षर लिए जाएंगे। मशीन की मरम्मत के लिए सभी शिकायतें कार्यालय परिसर में शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर दूर की जानी चाहिए।

- रख रखाव खर्च का भुगतान तिमाही समाप्त होने के पश्चात त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। ठेकेदार के कारण अगर कोई उपकरण चालू हालत में नहीं रहता है तो जिस अवधि के लिए वह खराब रहता है, उतनी अवधि के लिए कोई खर्च स्वीकार्य नहीं होगा।

- यदि फर्म की तरफ से मशीनों के रखरखाव में कोई कोताही पाई जाती है अथवा रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर कमियां संतोषजनक रूप में दूर नहीं कर दी जाती हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ठेके के मूल्य में से समानुपात में कटौती की जाएगी।

- ठेकेदार फर्म की यह भी जिम्मेदारी होगी कि करार अवधि की समाप्ति पर मशीनें अच्छी चालू हालत में इस मंत्रालय को सौंपी जाएं अन्यथा फर्म को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए नुकसान का भुगतान करना होगा।

- सरकार के पास किसी भी निविदा को चुनने अथवा किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए यथास्थिति अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। सरकार के लिए न्यूनतम दर-सूची को स्वीकार करने और किसी भी निविदा की दर-सूची को अस्वीकृत करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना बाध्यकर नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सरकार के पास बिना कोई कारण बताएं किसी भी समय करार को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- टेंडरदाताओं से अनुरोध है कि वे कोटेशन के साथ "वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली" के नाम दिल्ली/नई दिल्ली में किसी अनुसूचित बैंक पर देय एक क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु.2000/- (दो हजार रुपये केवल) की प्रतिभूति राशि जमा कराएं। सफल टेंडरदाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को ठेके की निबंधन और शर्तों की उचित पूर्ति/निष्पादन हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा। उक्त प्रतिभूति राशि को टेंडरदाताओं को देय राशि के समायोजन के अधीन रहते हुए ठेके के सफल समापन के पश्चात वापिस कर दिया जाएगा। अन्य असफल टेंडरदाताओं से प्राप्त राशि को बिना ब्याज के वापिस कर दिया जाएगा।

यदि उपरोक्त नियम और शर्तें स्वीकार्य हैं तो दर-सूची मोहर-बंद लिफाफे में रखकर, जिसके ऊपर **"फैक्स मशीनों के व्यापक रख-रखाव ठेके के लिए दर सूची"** लिखा हो, देर से देर 22 मार्च, 2010 को अपराह्न 3.00 बजे तक अनुभाग अधिकारी (लेखा और क्रय) कमरा न. 93, संसद भवन (दूरभाष:23034755) की अभिरक्षा में रखे टेंडर बॉक्स में जमा करा दी जानी चाहिए। तब तक प्राप्त दर-सूचियां 22 मार्च, 2010 को अपराह्न 3.30 बजे कमरा न. 92, संसद भवन, नई दिल्ली में खोली जाएंगी।

भवदीय,

ह./-

(यू.एस. चट्टोपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन : 23034899